

डिकी बमूकदमें इबादाई
(आदेश 20 नियम 6,7 जाव्ता दीवानी)
राजस्व लोक अदालत अभियान
म्याय आपके द्वार-2018
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-आंवलियासर
गु0न0 224/2018



दिनांक-

1. रामाकिशन
2. रामकुंवार
3. घासीराम
4. मनोज
5. धापु देवी
6. गुलाब देवी पुत्रगण चेतनराम तमाम जातियान खाती निवासी मुन्दियाउ तहसील जायल, नागौर

बनाम

वादीगण-

1. चेतनराम पुत्र मंधाराम जातियान खाती निवासी मुन्दियाउ तहसील जायल जिला- नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88,188
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955


निर्णय दिनांक :-04.05.2018


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति हुकम दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :-

1. वादी संख्या 1,5,6 रामाकिशन, धापुदेवी, गुलाब देवी के हक बंट में मोजा के मुन्दियाउ खेत ख.न. 20 रकवा 64 बीघा 10 विश्वा में से 17 बीघा 17 विश्वा उत्तरी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 रामकुंवार व प्रतिवादी संख्या 1 चेतनराम के सामलाती हक बंट में मोजा के मुन्दियाउ खेत ख.न. 20 रकवा 64 बीघा 10 विश्वा में से 11 बीघा 14 विश्वा व ख नं 28 रकवा 07 बीघा 03 विश्वा में से 6 बीघा 03 विश्वा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 घासीराम के हक बंट में मोजा के मुन्दियाउ खेत ख.न. 20 रकवा 64 बीघा 10 विश्वा में से 17 बीघा 17 विश्वा पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार व ख नं 60/210 रकवा 03 विश्वा सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी संख्या 4 मनोज के हक बंट में मोजा के मुन्दियाउ खेत ख.न. 20 रकवा 64 बीघा 10 विश्वा में से 16 बीघा 17 विश्वा मध्य भाग नजरी नक्शानुसार व ख नं 28 रकवा 07 बीघा 03 विश्वा में से 1 बीघा पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. खं नं. 20 रकवा 64 बीघा 10 विश्वा में से 05 विश्वा सार्वजनिक रास्ते हेतु भूमि नजरी नक्शानुसार घोषित की जाती है।

तहसीलदार जायल को डिक्की पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लोक x मुक्तिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख, तारीख वसूल योगो तक x को अदा करे। बसोबत मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04.05.2018 को जारी किया गया।


वन्द्य सदस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)


(मुहम्मद प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

रूपधे	पैसे	मुदायता	राजस्व लोक अदालत	अभियान
		स्टाम्प पञ्चतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतना कर्तित खर्चा पत्राहन पीस कर्मी-धर बाबत इजराय हुक्मीजान मुताफरिफ	ग्याय आदिके द्वार-	2018

के काम पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

श्री. लक्ष्मण
जन्य सदस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

(सुरेन्द्र प्रसमद)
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल जिला-नागौर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-आंवलियासर

1.अदा.अभि./2018/28

दिनांक- 4.5.18

तहसीलदार जायल को डिकरी आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि मुताबिक डिकरी आदेश के राजस्व में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट आज ही पेश करे।

(सुरेन्द्र प्रसमद)
उपखण्ड अधिकारी, जायल